NOTARIAL NOTARIAL

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हातोद जिला इंदौर म.प्र.

प्रारूप – पांच

कालोनी के विकास की अनुमति

अनुमति कमांक / 520 / का.सेल / श्री.हातोद / 2012 / दिनांक 11/6/12 / 2012

मध्य प्रदेश राज अधिनियम 1993 (कमांक 1 (सन् 1994) और उसके अन्तर्गत बनाये म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1999 के अधीन निम्नांकित शर्तो के अधीन रहते हुऐ :–

1 आवेदकः– श्रीमती संगीताबाई पति रामेश्वर व अन्य तर्फे विकासकर्ता ब्लूम बर्ग रियल्टि इंडिया प्रा.लि. तर्फे दीपक भोसले ।

2. पताः– 303,स्टारलिट टॉवर इंदौर म.प्र. ।

3. मोहल्लाः– 303,स्टारलिट टॉवर इंदौर म.प्र. ।

4. नगर :– 303,स्टारलिट टॉवर इंदौर म.प्र. ।

5. ग्राम :– ग्राम सोनगीर तहसील हातोद जिला इंदौर ।

को ग्राम सोनगीर तहसील हातोद जिला इंदौर स्थित सर्वेनंबर 290/2/2, 291/6/1/1/1, 291/6/1/2,291/6/3/2,306/1,306/2,307,289/2,298p-कुल रकबा 17.596-HECT भूमि पर कालोनी में आवासीय प्रयोजन हेत विकास कार्य प्रारम्भ करने की विकास अनुमति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधो के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र में वर्णित शर्तो का पालन करना होगा ।
2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा ।
3. म.प्र. भूराजस्व संहिता में कथत भू–व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा ।
4. भूमि स्वामी स्वत्व संबंधी कोई विवाद होने की स्थिति में यह अनुमति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी ।
5. ई आय ए नोटिफिकेशन जुलाई 2004 के प्रावधानो के तहत आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति लेना व बोर्ड से जल एवं वायु की सहमति लेना अनिवार्य होगा ।
6. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर से अनुमोदित नक्शे के अनुसार राजस्व निरीक्षक / पटवारी से मौके पर अभिन्यास का सीमांकन / चिन्हांकन व सत्यापन कराना अनिवार्य होगा ।
7. आवेदक को अनुज्ञा जारी दिनांक से 3 माह की अविध में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्ड कमांक 48 से 50,120 से 132,150 से 180,भूखण्ड एल जी कमांक 32 से 42 कुल 58 अर्थात 4900–वर्गमीटर रकबा का बंधकनामा व भूमि स्वैामी तथा विकासकर्ता के मध्य विकांस संबंधी अनुबंध पत्र का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय देपालपुर जिला इंदौर से कराना अनिवार्य होगा । जो इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा एवं उसकी एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा ।
9. मुख्य मार्ग से कालोनी तक का बाहय विकास स्वयं के व्यय से प्राथमिकता के करना होगा ।

उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन होने की दशा में यह अनुमति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील–हातोद, जिला–इन्दौर

NOTARY M.P. GOVT. 2013

TRUE-COPY ATTESTED

MOHAN PAL
NOTARY DISTT. INDORE
M.P. GOVT.